



वाराणसी जोन के अन्तर्गत मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद एवं गोण्डा
के आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की

आवंटन/नीलामी

दिनांक: 23.09.2017/ समय: प्रातः 11:00 बजे

स्थल: कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध ऑफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग, फैजाबाद

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आसन्न दर प्रति वर्गमीटर	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
डोमरोली योजना, मिर्जापुर					
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-114 / 1 (अनारक्षित)	01	76.29	20832.00	—	1.59
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-114 / 3 (अनारक्षित)	01	77.34	20832.00	—	1.62
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकानें-LGFS-6,7 (अनारक्षित)	02	9.922 व.मी.	—	11.82 प्रति नग	1.19
दुकानें-LGFS-3,4,5,8,9,10,11 (अनारक्षित)	07	9.633 व.मी.	—	11.47 प्रति नग	1.15
तहसील हरैया, बाम्बे योजना, बस्ती					
आवासीय भवन 22 नग 15 / 25 प्रकार बी०पी०एल० कार्डधारकों हेतु।	22	25.00	—	0.40 प्रति नग	0.05 लाटरी द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
कियोस्क के-3 (अनारक्षित)	01	4.00 व०मी०	—	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 व०मी०	—	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
भवन संख्या-एल-474	01	60.59 व०मी०	—	12.50 लाख	0.63 प्रति नग
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 व०मी०	9680.00	—	15.40
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 व०मी०	9680.00	—	17.70
भ०सं०-एल०-909, एल०-910, एल०-911	03	60.33 व०मी०		08.15 प्रति नग	रु०-0.41

नोट:- तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (बी०पी०एल० कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०-5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी०पी०एल० कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना:- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु०-100.00 जमा करके संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती हैं।

आवास आयुक्त